



# महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का संघटक महाविद्यालय )

## WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(A CONSTITUENT COLLEGE OF BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY, BIKANER)

Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

website: www.gweca.ac.in

email: establishment@gweca.ac.in

Ph. No.: 0145-2695535

Fax No.: 0145-2695102

क्रमांक: म.अ.म.अ/संस्थापन/2025-26/3494

दिनांक 30/03/2026

### कार्यालय आदेश

महाविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक म.अ.म.अ/संस्था/2024-25/775, दिनांक 31.07.2024 के क्रम में समस्त संकाय सदस्यों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की अनुपालना में अकादमिक अवकाश हेतु 10 दिवस पूर्व आवेदन करें।

उक्त आदेश की अनुपालना में समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिक उपार्जित अवकाश (PL) का भी आवेदन नियमानुसार 15 दिवस पूर्व प्रस्तुत करें।

समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष उक्त आदेशानुसार प्रार्थना पत्र अग्रेषित करना सुनिश्चित करें।

P. Tribedi  
30/3/2026  
(प्राचार्या)

**सलग्न:** पूर्व में जारी आदेश

### **प्रतिलिपि:-**

08. आशुलिपिक - प्राचार्या महोदया को सूचनार्थ
09. I/c कुलसचिव
10. प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा
11. समस्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों को पालनार्थ
12. सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों को पालनार्थ
13. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट
14. रक्षित पत्रावली

Jh  
30/03/26  
(I/c कुलसचिव)



महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर  
**WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER**

Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

website: www.gweca.ac.in  
email: establishment@gweca.ac.in

Ph. No.: 0145-2695535  
Fax No.: 0145-2695102


क्रमांक: म.अ.म.अ/संस्था/2024-25/775

दिनांक 31/07/2024

कार्यालय आदेश


महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि अकादमिक अवकाश (AL) का आवेदन अकादमिक कार्यक्रम के 10 दिवस पूर्व अनुमति हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक सदस्यों द्वारा उपार्जित अवकाश (PL) का आवेदन नियमानुसार 15 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

  
(प्राचार्य)

प्रतिलिपि :-

1. आशुलिपिक - प्राचार्य महोदय को सूचनार्थ
2. कुलसचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष को पालनार्थ
4. समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक सदस्यों को पालनार्थ
5. रक्षित पत्रावली

  
(उप कुलसचिव)